

दूरभाष:26175176
फैक्स: 26162093

संख्या-15/2/2016-उ.नि.(परीक्षा)/ 1022

भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
हिंदी शिक्षण योजना
उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066

दिनांक: 9/5/2016

सेवा में

निदेशक/संयुक्त निदेशक/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक/सर्वकार्यभारी अधिकारी,
हिंदी शिक्षण योजना/पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के अध्यक्ष।

विषय:-केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी भाषा की प्रबोध,
प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में सुधार के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर निदेशक (प्रशिक्षण), राजभाषा विभाग के दिनांक 16.2.2015 के पत्रांक 21034/18/2014-राभा(प्रशिक्षण) के अनुपालन में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी भाषा की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, प्राज्ञ बैंकिंग तथा पारंगत परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में निम्नलिखित बिंदुओं पर सुधार किए जा रहे हैं :-

1. प्रत्येक प्रश्न-पत्र में उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत के बजाय 35 प्रतिशत किए गए हैं।
2. परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है न कि कुल योग के आधार पर।
3. परीक्षार्थी के किसी भी एक प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर उसे संपूर्ण परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित न करके केवल उसी प्रश्न-पत्र में अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा तथा उसे केवल उसी प्रश्न-पत्र को पुनः उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।
4. पत्राचार माध्यम से प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी के उत्तर-पत्र (रिस्पांस-शीट) समय पर प्राप्त न होने पर उन्हें अनुत्तीर्ण घोषित न करके उनकी प्रश्न-पत्र III की मौखिक परीक्षा ली जाएगी।

